UPM0280025622026

न्यायालय अपर मु ख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (उत्तर रेलवे) मुरादाबाद।

(पीठासीन अधिकारी- सर्वेश कुमार मिश्र-उ **0** प्र **0** न्यायिक सेवा **2073)**

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या **-170/2026**

दिनांकः **30.06.2026**

अभियुक्त/प्रार्थी **अमित** द्वारा यह जमानत प्रार्थना पत्र मु0 अ 0 सं0–70/2021 धारा– 392 भारतीय दंड संहिता थाना जी.आर.पी. मुरादाबाद में प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थी एड्स की गंभीर बीमारी से ग्रस्त है। प्रार्थी प्रस्तुत मामले में पूर्व में जमानत पर था। प्रार्थी के विरुद्ध न्यायालय द्वारा गैर जमानतीय वारंट जारी कर दिए गए थे। प्रार्थी प्रस्तुत मामले में दिनांक 13.05.2026 से गैर जमानतीय वारंट पर जिला कारागार में निरुद्ध है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त द्वारा जमानत पर मुक्त किये जाने की याचना की गई है।

विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया।

प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पूर्व में जमानत पर था। प्रार्थी द्वारा नियत दिनांकों को न्यायालय में उपस्थित न आने के कारण उसके विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी किए गए थे। अभियुक्त दिनांक 13.05.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। इसके अतिरिक्त जमानत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न मेडिकल प्रपत्र के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि अभियुक्त एच.आई.वी से ग्रस्त है। अतः मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

मु०अ०सं० 70/2021 धारा– 392 भारतीय दंड संहिता थाना जी.आर.पी. मुरादाबाद में अभियुक्त **अमित** द्वारा मुव० 25000/–रुपए की धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि का एक प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त किया जाए।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
उत्तर रेलवे, मुरादाबाद
JO CODE UP2073

आशुलिपिकः हरगोविन्द सिंह।
हस्ताक्षर